पत्रांक –01प्रा0आ0यो0–09 / 2009 / ...2172... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद / नवादा / भोजपुर / जमुई।

पटना–15, दिनांक– 10/8/18

विषयः– **लाईफ जैकेट उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद का पत्रांक–310 दिनांक–04.06.2018, जिला पदाधिकारी, नवादा का पत्रांक–224(A) दिनांक–20.06.2018, जिला पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक–266 दिनांक–11.06.2018 एवं जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक–138 दिनांक–09.06.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा संभावित बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य हेतु विभाग से लाईफ जैकेट्स की मांग की गई है। इस संबंध में सूचित करना है कि दिनांक–21.05.2018 को माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता / वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि जिलों द्वारा आवश्यकतानुसार लाईफ जैकेट्स का नियमानुसार क्रय किया जाएगा एवं इसके लिए राशि की अधियाचना विभाग से की जाएगी।

उक्त बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय। साथ ही क्रय किये गये लाईफ जैकेट्स के सुरक्षित रख–रखाव हेतु भी आवश्यक व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

08/08/18

सरकार के अपर सचिव

E:\2018\Baxala sir\Yojna\letter 03-08 2017.docx

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–21.05.2018 को माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में सभी जिलों के अपर समाहर्त्ता /वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में सम्पन्न की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति– यथा संलग्न।
2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग का संबोधन

मान्नीय मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि आज की बैठक मूलतः बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा से संबंधित है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य में बाढ़ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में विभाग द्वारा सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश पूर्व में ही दिया जा चूका है। बाढ़ पूर्व तैयारी एवं बाढ़ आने की दशा में बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। माननीय मंत्री द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि यदि हमारी तैयारियाँ ससमय पूर्ण हो जायेगी तो बाढ़ आपदा का मुकाबला हम आसानी एवं प्रभावी ढ़ंग से कर सकेगें। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त किया कि गत वर्ष राज्य में आए बाढ़ के दौरान जिलों द्वारा काफी चुस्ती एवं तत्परता के साथ कार्य किया गया, परन्तु इसे और अधिक बेहतर किये जाने की आवश्यकता है। गत वर्ष आये बाढ़ के कारण हुई मकान क्षति के संबंध में कुछ जिलों से समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। साथ ही GR वितरण के संबंध में भी कुछ जिलों से शिकायतें मिली थी। मान्नीय मंत्री ने आपदा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह विषय राज्य के निवासियों की जानमाल एवं सुरक्षा से सीधे जुड़े होने के कारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को ससमय राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। अतः आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को अत्यन्त संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। आपदा से पीड़ित व्यक्त्यों को

जिलों के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के साथ बैठक कर लेगें।

X. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था** – प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संभावित बाढ़ के मद्देनजर पशु चारा एवं पशु दवा की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर लिया जाय।

XI. **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र** – प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बाढ़ अवधि में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों को 24 X 7 की तर्ज पर कार्यरत रखा जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पूर्व से ही कर लिया जाय। बाढ़ अवधि में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को रजिस्टर में अंकित किया जाय एवं उनका फॉलोअप भी किया जाय। गंभीर मामलों में तुरन्त जिला के वरीय पदाधिकारी/आपदा प्रबंधन विभाग/ राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचित किया जाय। अंचल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाय। इन केन्द्रों में लगे टेलीफोन एवं फैक्स आदि को चालू हालत में रखा जाय।

XII. **जिला टॉस्क फोर्स का गठन** – प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी शीघ्र ही जिला टॉस्क फोर्स का गठन कर लें।

4. विविध –

1. प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, सुपौल के द्वारा बताया गया कि सुपौल जिला में आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पूर्व से निर्मित वेयर हाउस स्टेडियम में होने के कारण उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः सुपौल समाहरणालय परिसर में एक नया वेयर हाउस बनाने की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में प्राक्कलन के साथ राशि की अधियाचना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सारण (छपरा) के द्वारा अवगत कराया गया कि सिताब दियारा गांव में नदी के लगातार हो रहे कटाव से सम्पूर्ण गांव कट जाने की संभावना है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर से जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा जाय एवं उसकी प्रति आपदा प्रबंधन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

3. प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, अरवल के द्वारा अनुरोध किया गया कि एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से जिला के स्थानीय गोताखोरों को बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव द्वारा समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 को निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी, अरवल से समन्वय स्थापित कर एस0डी0आर0एफ0 की एक टीम अरवल जिला भेजकर स्थानीय गोताखोरों को प्रशिक्षित करने का कार्य सम्पन्न करा लें।

4. प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधुबनी के द्वारा सरकारी देशी नावों के उपयोग के लिए विभाग से लाईफ जैकेट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वे सभी जिला अपने आवश्यकतानुरूप लाईफ जैकेट का नियमानुसार क्रय करेंगे। इसके लिए राशि की अधियाचना विभाग से करेंगे।

5. बैठक में बेगूसराय, बक्सर, प0 चम्पारण, समस्तीपुर एवं शेखपुरा से अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक में अनुपस्थित संबंधित पदाधिकारी, जिन्हें बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत किया गया था, से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पस्टीकरण प्राप्त कर अपना मंतव्य सहित विभाग को उपलब्ध करायेगें।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

ह0 / –
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक .... /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि: सभी अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) / सभी जिला पदाधिकारी / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक 1537 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 7/6/18

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव

ज्ञापांक 1537 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 7/6/18

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/06/18
अपर सचिव